न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

अपील संख्या 42/2023 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2023/52)

हरजिन्द्र सिह पुत्र स्व. श्री नन्द सिह जाति जटसिख, निवासी 25 पीएस, तहसील रायसिहनगर, जिला श्रीगंगानगर।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा राज पैरोकार।
2. जसनदीप सिह
3. अमनदीप सिह

पुत्रगण श्री सुरेन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी 25 पीएसबी, तहसील रायसिहनगर, श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः
1. श्री महेन्द्र विश्नोई – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री विजय कुमार पारीक –अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् सं. 2, 3
3. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 15.02.2024**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार (भू.अ.) रायसिहनगर मुकदमा नं. 124/11 के निर्णय दिनांक 29.02.2012 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट जसनदीप व अमनदीप ने तहसीलदार रायसिहनगर में वसीयतनामा के अनुसार इंतकाल दर्ज करवाने का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि हमारी दादी श्रीमति स्व. हमीरकौर के द्वारा अपने जीवन काल में अपनी खातेदारी कृषि भूमि की वसीयत हमारे हक में करवाई थी। अतः वसीयतनामा के अनुसार इन्तकाल दर्ज किया जावे। जिस पर तहसीलदार रायसिहनगर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29.02.2012 द्वारा वसीयत अनुसार रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश पटवारी हल्का को दिये। उक्त निर्णय के विरूद्व अपीलान्ट हरजिन्द्र सिह ने अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार कर निर्णय दिनांक 29.02.2012 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया ।
4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि श्रीमती हमीर कौर पत्नी नन्दसिह जाति जटसिख के नाम से चक 25 पी एस ए के मुरबा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

संख्या 35, 42, 43 में 6.325 है0 नहरी भूमि के नाम दर्ज था जिससे से हमीर कौर द्वारा जरिये पंजीबद्व दान विलेख के माध्यम से चक चक 26 पी एस ए के मुरबा सं. 35 में 4.00 बीधा, मुरबा सं. 42 में 3.16 बीधा, मुरबा सं. 43 मे 9.10 बीधा कुल 17.06 बीधा नहरी अपनी पोती नवनीत कौर पुत्री श्री हरजिन्द्र सिह से दिनांक 29.04.2005 को पंजीयन क्रमांक 557 पर पंजीबद्व करवा दिया गया। तत्पश्चात हमीर कौर एवं नवनीत कौर के मध्य विवाद हो जाने पर हमीर कौर द्वारा न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायालय रायसिहनगर मे एक वाद प्रस्तुत किया गया था। लोक अदालत में माध्यम से दिनांक 04.11.2011 को राजीनामा जरिये मु.खास हुआ कि चक 26 पी एस ए के मुरबा सं. 42 के किला सं. 4, 5, 6, 7 की 3.16 बीधा मुरबा सं. 43 के किला सं. 1 में 0.18, 2 के 8 1/2 बिस्वा, 9 के 8 1/2 बिस्वा किला सं. 10 सालम तक का दान पत्र दिनांक 29.04.2005 निरस्त किया जावे और बाकी शेष रही भूमि का दान पत्र बदस्तुर रखा जावे जिसके उपरान्त श्रीमती हमीर कौर द्वारा दिनांक 09.09.2011 को एक वसीयतनामा का निष्पादन नोटेरी पब्लिक से करवा कि चक 26 पी एस ए के खाता सं. 61 के मुरबा सं. 42 के किला सं. 4 में 0.152, 5, 6 के 0.228, 6 के 0.253, 7 के 0.169 है0 नहरी मय बाग मुरबा सं. 43 के किला सं. 1 में 0.228, 2 में 0.108, 9 में 0.107, 10 में 0.253 कुल 1.498 है0 की वसीयत के रेस्पोडेन्ट सं. 2, 3 के पक्ष में की जानी बतलाई गई जो कि पूर्णतः सन्देहास्पद कूटरचित है जिसकी निरस्ती बाबत सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है। तथाकथित कूटरचित वसीयतनामा दिनांक 09.09.2011 को होना बतलाया जा रहा है जबकि राजीनामा दिनांक 04.11.2011 को वाद संख्या 54/2011 में हुआ तथा दान पत्र का विलेख 29.04.2005 पूर्णतः प्रभावशील होते हुए भूमि नवनीत कौर के ही स्वामित्व मे थी जो वसीयत करने का अधिकार हमीर कौर को प्राप्त ही नही है इसी आधार पर अपीलान्ट द्वारा इस बाबत एवं वसीयत फर्जी कूटरचित होने के तथ्यो के लिए आपत्ति भी की गई किन्तु अधीनस्थ न्यायालय इन तथ्यो की जानकारी होते हुए निर्णय दिनांक 29.02.2012 पारित करते हुए रेस्पोडेन्ट सं. 2, 3 के नाम से नामान्तरण करने के आदेश पारित कर दिये जो अपास्त

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

किये जाने योग्य है। जब भूमि एक बार दान कर दी गई तो हमीर कौर को वसीयत करने का कोई विधिक अधिकार ही नही रहा । तथाकथित वसीयत दिनांक 09.09.2011 को निष्पादन होनी बतलाई तथा हमीर कौर दिनांक 01.11.2011 को स्वर्गवास हो गया, राजीनामा की डिक्री दिनांक 04.11.2011 को पारित की गई का उल्लेख किया तो 09.09.2011 को सम्पत्ति हमीर कौर मे किस प्रकार निहित हो गई इस बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया है। तथाकथित वसीयत दिनांक 09.09.2011 को निष्पादित होना बतलाया गया है जबकि वसीयतकर्ता काफी वृद्व अवस्था तथा उसे paralysis हो गया था जो ना तो सोच समझ सकती थी तथा ना ही उसकी सुनने व बोलने की क्षमता ही थी इसलिए वसीयत स्वय ही कूटरचित प्रतीत हो रही है जबकि वसीयतकर्ता हस्ताक्षर करती थी इसलिए निर्णय दिनांक 29.02.2012 अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार रायसिहनगर का निर्णय दिनांक 29.02.2012 को अपास्त किया जावें।

5. रेस्पोडेन्ट सं. 2, 3 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि नवनीत कौर को दान भूमि हमीरकौर ने की थी, व निरस्त भी हो चुकी थी, अपील करने का अधिकार नवनीतकौर को था वही एग्रीवड थी, अपीलान्ट हरजिन्द्र सिह को अपील पेश करने की लोकस स्टेण्डाई नही है। अतः अपील मेन्टेलेबल नही होने के कारण अपील इसी स्तर पर खारिज की जावे। इसके अलावा वसीयत सिविल न्यायालय मे आज भी जैरकार है। उक्त भूमि हमीर कौर के नाम थी, जिसकी वसीयत हमारे पक्ष में दिनांक 09.09.2011 करवाई गई। हमीर कौर का दिनांक 01.11.2011 को स्वर्गवास हो गया उसी दिन से वसीयत लागू हो गई। दानपत्र वर्ष 2005 का बता रहे है जो खारिज भी हो गया। दिनांक 29.02.2012 को वसीयत सम्बन्धी ईन्तकाल दर्ज हो गया उस दिन कोई दान पत्र नही था। रेस्पोडेन्ट ने तहसीलदार के संमक्ष वसीयत के अनुसार इन्तकाल दर्ज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर इन्तकाल बाबत सारी रिपोर्ट ली गई, उक्त भूमि पर कब्जा हमारा बताया गया। तहसीलदार रायसिहनगर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

द्वारा पूरी प्रक्रिया अपनाकर वसीयत के आधार पर रेकार्ड मे अमल दरामद करने के आदेश जारी किये गये है जो सही है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे। रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3 के विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में RRD 2000 पृष्ठ 556, RRD 2002 पृष्ठ 280, RRD 2008 पृष्ठ 383, RRD 2002 पृष्ठ 12, RRD 2010 पृष्ठ 557, RRD 2010 पृष्ठ 392, RRD 2015 पृष्ठ 461, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

6. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। प्रस्तुत अपील तहसीलदार (भू.अ.) रायसिहनगर निर्णय दिनांक 29.02.2012 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है जिसमें तहसीलदार रायसिहनगर द्वारा वसीयत के अनुसार रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये है। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि श्रीमती हमीर कौर पत्नी नन्दसिह जाति जटसिख के नाम से चक 25 पी एस ए के मुरबा नं. 35, 42, 43 में 6.325 है0 भूमि थी। हमीर कौर ने दिनांक 29.04.2005 को मुरब्बा नं. 35, 42, 43 में 17 बीधा भूमि अपनी पोती नवनीत कौर को दान पत्र कर दी गई थी, जिसका अमलदरामद होने से पूर्व हमीर कौर व नवनीत कौर के बीच आपसी विवाद हो गया। हमीर कौर ने अपनी पोती नवनीत के विरूद्व अपने जीवनकाल मे ही अपर जिला न्यायाधीश रायसिहनगर के न्यायालय में दावा पेश किया जिससे न्यायालय द्वारा दिनांक 30.09.2011 को अर्वाड पारित किया एवं दावा संख्या 54/11 तारीख पेशी 04.11.2011 को इनके आपसी राजीनामे मे मु. नं. 42 का 3 बीधा 16 बिस्वा मु. नं. 43 का 2 बीधा 15 बिस्वा कुल 6 बीधा 11 बिस्वा का दान पात्र निरस्त किया न दान पात्र में दर्ज शेष भूमि का दान पात्र कायम रख कर डिक्री जारी की गई। हमीर कौर वसीयत कर्ता की मृत्यु दिनांक 01.10.2011 को होना प्रतिवेदित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार हमीर कौर ने

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपने जीवनकाल में अपने नाम को चक 26 पीएस ए की खातेदारी भूमि खाता सं. 61 मु. नं. 42 किला नं. 4/0.152, 5/.228, 6/.228, 7/.169, कुल 0.802 हैक्टेयर नहरी मय बाग एवं मु. नं. 43 किला नं. 1/.228, 2/.108, 9/.107, 10/.253, कुल 0.696 हैक्टेयर नहरी मय बाग इस प्रकार दोनो मुरब्बो मे 1.498 हैक्टेयर नहरी मय बाग अपने पोते श्री जश्नदीप सिह व अमनदीप सिह पि. सुरेन्दर सिह जट सिख सा. चक 25 पीएस बी के पक्ष में ब. हि. बराबर दिनांक 9–9–11 को नोटेरी पब्लिक से वसीयत प्रमाणित करवाई थी इस वसीयत के अनुसार वारिसान सम्बधित रकबा पर काबिज है। लोक अदालत न्यायपीठ तालुका रायसिहनगर के अवार्ड दिनांक 30.09.2011 अनुसार पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामा के अनुरूप यह अवार्ड वादी का वाद दानपत्र दिनांक 29.04.05 मे वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि वाके चक 26 पी एस (ए) तहसील रायसिहनगर के मु. नं. 42 के किला नं. 4, 5, 6, 7 कुल 3.16 बीधा व मु. नं. 43 के किला नं. 1 के 18 बिस्वा, किला नं. 2 के साढे आठ बिस्वा व किला नं. 9 के साढे आठ बिस्वा किला नं. 10 सालम की हद तक स्वीकार कर दानपत्र निरस्त किया गया व शेष भूमि बाबत दानपत्र बदस्तुर बहाल रहना आदेशित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी इसी अनुसार अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। उक्त तथ्यो के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.02.2012 में हस्तक्षेप की गुजाईश प्रतीत नही होती है। अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.02.2012 को यथावत रखा जाता है। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 15.02.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर